रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215635 CG-DL-E-22012020-215635

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] No. 273] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

का.आ. 284(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. कृष्ण बिहारी गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभाग प्रमुख, पीजीआईएमएस, रोहतक, हरियाणा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को भारत के राजपत्र के भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 6410(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना संख्या जैड 28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 31,अक्टूबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:

"13. डॉ. कृष्ण बिहारी गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभाग प्रमुख, पीजीआईएमएस, रोहतक, हरियाणा "

397 GI/2020 (1)

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

> [फा. सं. जैड-28016/157/2019- पीएमएसएसवाई-IV] सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2020

**S.O. 284(E).**—In exercise of powers conferred by Clause (f) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Krishna Bihari Gupta, Senior Professor & HoD, Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, Haryana, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Nagpur and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/65/2017-PMSSY-IV dated the 31st October, 2018 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) *vide* SO 6410 (E) dated the 31st December, 2018:

In the said notification, for serial number 13 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

"13. Dr. Krishna Bihari Gupta, Senior Professor & HoD, Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, Haryana"

The terms of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/157/2019-PMSSY-IV] SUNIL SHARMA, Jt. Secy.